138

न्यायालय – राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 3508–।/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–2014 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 86–।।/2006

———

रामप्रताप नामदेव पुत्र रामगोपाल नामदेव
निवासी ग्राम ओरछा,तहसील निवाडी, जिला
टीकमगढ (म.प्र.)

.....आवेदक

विरूद्ध

नाथूराम (मृत) द्वारा विधिक वारिसानः–
1– लक्ष्मीनारायण पुत्र नाथूराम कुशवाह
2– गोकुल पुत्र श्री नाथूराम कुशवाह
निवासीगण नरिया मोहल्ला वार्ड़ न.–5 ओरछा,
तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ (म.प्र.)
3– सरोज पत्नी कमलेश कुशवाह
निवासी सिंगरी बडा कुंआ, झांसी (उ0प्र0)
4– मीना पत्नी राजू कुशवाह
निवासी चिरगॉव वायपास रोड चिरगॉव (उ0प्र0)
5– कामनी पत्नी राजू
निवासी हरदौल का पुरा,जिला दतिया (म.प्र.)
6– गायत्री पत्नी हरिशचन्द्र
निवासी लक्ष्मी गेटके अन्दर, झांसी (उ0प्र0)
7– मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

———

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के.श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(अनावेदक क–2 की ओर से शासकीय पैनल अभिभाषक)

:: आदेश ::

(आज दिनांक 7 अक्टूवर, 2016 को पारित)

यह पुर्नविलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 86–।/2014 निगरानी में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 51 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारॉश यह है कि, ग्राम ओरछा की आराजी कमांक 557/1 रकवा 1.214 हैक्टर का पट्टा मृतक नाथूराम पुत्र हरपे काछी निवासी ओरछा को हुआ था। मृतक नाथूराम द्वारा तहसीलदार निवाड़ी को आवेदन पत्र दिनांक 6–10–1995 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि, वह पट्टा प्राप्ति से वादगस्त भूमि पर काविज है पट्टा प्राप्ति के उपरान्त उसके नाम का इन्द्राज अभिलेख में रहा है। किन्तु लिपिकीय त्रुटि से उसका नाम अभिलेख से विलोपित हो गया है। अतः अभिलेख दुरूस्त कर उसके नाम की प्रविष्टि पूर्व की भॉति की जावें। उक्त आवेदन पर से नायब तहसीलदार वृत्त ओरछा ने प्रकरण कमांक 19/अ–6–अ/1995–96 दर्ज किया जाकर, दिनांक 25–9–1996 को नाथूराम के नाम की प्रविष्टि शासकीय अभिलेख मे किये जाने का आदेश पारित किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, निवाडी के समक्ष अपील प्र0क0 36/2001–02 प्रस्तुत की जिसमें पारित आदेश दिनांक 1–8–2000 से अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, सागर के समक्ष अपील प्र0क0 160/अ–6/2002–03 प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 24–10–2005 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्र0क0 86–।/2006 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19–8–2014 से अस्वीकार की गई। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि, आवेदक अभिभाषक द्वारा जिन आधारों पर पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया है वह आधार राजस्व मण्डल द्वारा प्र0क0 निगरानी 86–।/2006 में पारित आदेश दिनांक 19–8–2016 में पूर्व में ही निर्णित

किये जा चुके है। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्तपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।
2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल या गलती।
3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक अभिभाषक ने जो पुर्नविलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है उसक परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। पुर्नविलोकन आवेदन में राजस्व मण्डल के आक्षेपित आदेश में प्रत्यक्षदर्शी भूलों के होने का तथा निगरानी मेमों के बिन्दुओं को विचार में नहीं लिए जाने का लेख है, किन्तु ऐसी कौन–कौन सी भूलें और कौन–कौन से बिन्दु है जिन पर विचार नहीं हुआ यह स्पष्ट नहीं किया गया है। पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार 1 से 7 में भी कोई नई बात नहीं लिखी गई है। नाही तर्क के समय कोई ऐसा नया बिन्दु प्रस्तुत किया गया है, जिसके प्रकाश में पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया जाए। आवेदक की ओर से प्रस्तुत सभी पुर्नविलोकन के बिन्दु और आधार राजस्व मण्डल और अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आक्षेपित आदेश में विधिवत् और समुचित रूप से विचारित होकर निर्णित हो चुके है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रकरण के समस्त हितवद्ध पक्षकारों को पुर्नविलोकन प्रकरण में संयोजित नहीं किया गया है। अतःपुर्नविलोकन प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 उचित होने से स्थिर रखे जाने येाग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 86/।।/2006 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19–8–2014 विधिवत होकर हस्तक्षेप योग्य न होने से यथावत रखा जाकर, पुर्नविलोकन आवेदन पत्र खारिज किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हो।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश, ग्वालियर